भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3586
(जिसका उत्तर सोमवार 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

समाचार पत्रों में वित्तीय परिणामों के अनिवार्य प्रकाशन का युक्तिसंगतीकरण

3586. **श्री जगन्नाथ सरकार:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11, 11क और 30 के तहत बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) और 47(4) के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों को संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन के अड़तालीस घंटे के भीतर कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में वित्तीय परिणाम प्रकाशित करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान डिजिटल युग में समाचार पत्रों में ऐसे अनिवार्य प्रकाशन की निरंतर प्रासंगिकता की जांच की है, जबकि विनियम 33 के तहहत दाखिल करने के तुरंत बाद संपूर्ण वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइटों ओर स्टॉक एक्सचेंज पोर्टलों पर पहले से ही उपलब्ध करा दिए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का, कपंनियों पर अनुपालन लागत और परिचालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए, विशेष रूप से पहले से निर्धारित क्यूआर-कोड-आधारित और ऑनलाइन प्रकटीकरण तंत्रों के आलोक में, सेबी के परामर्श से इन प्रत्यायोजित विनियामक प्रावधानों की समीक्षा करने या उनका युक्तिसंगतीकरण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि दिनांक 13 दिसंबर, 2024 से प्रभावी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर") के विनियम 47(1) में सेबी द्वारा संशोधन से पहले, प्रत्येक सूचीबद्ध निकाय को, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के अड़तालीस घंटों के भीतर, संपूर्ण भारत या उसके अधिकांश भाग में प्रसारित अंग्रेजी भाषा के कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और उस क्षेत्र की भाषा में, जहां सूचीबद्ध निकाय का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, निर्धारित प्रारूप में विस्तृत वित्तीय परिणाम प्रकाशित करना आवश्यक था। संशोधन के अनुसार, जिसमें प्रकाशन की आवश्यकता को युक्तिसंगत ठहराया गया है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए केवल विज्ञापन

प्रकाशित करना आवश्यक है जिसमें क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर कोड) और वेबपेज का विवरण हो जहां सूचीबद्ध निकाय का संपूर्ण वित्तीय परिणाम निवेशकों को उपलब्ध हो। संशोधन के अनुसार, अंग्रेजी भाषा के कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्र की स्थानीय भाषा में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र में संपूर्ण वित्तीय परिणाम वैकल्पिक कर दिया गया है। उपरोक्त विज्ञापन, जिसमें क्यूआर कोड एवं वेबपेज का विवरण अंतर्विष्ट है, को उस बोर्ड बैठक के समापन से 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, जिसमें वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया गया था। एलओडीआर के विनियम 47(4) के अनुसार, क्यूआर कोड वाले उपर्युक्त विज्ञापन को अंग्रेजी भाषा के कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, जहां सूचीबद्ध निकाय का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। इसके अतिरिक्त, यह अपेक्षा उन सूचीबद्ध निकायों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को लघु एवं मध्यम उद्यम एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया है।
